191

संख्याः–3465/VI(1)/2013–12(26)/2005 टी0सी0

प्रेषक,

सचिन कुर्वे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 13 दिसम्बर, 2013

विषयः–एशियाई विकास बैंक सहायतित "पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यकम" हेतु प्राप्त धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यक्रम निदेशक, आई0डी0आई0पी0टी0 के पत्र संख्या–2649/ 2–10 /ए0डी0बी0/पी0एम0यू0/(आई0डी0आई0पी0टी0)/2, दिनांक 21 नवम्बर, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटन विभाग के अन्तर्गत एशियाई बैंक सहायतित ''पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम'' के अन्तर्गत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–एफ0नं0–53(2)/पी0एफ0आई0/2013–608, दिनांक 23 अगस्त, 2013 व पत्र संख्या––एफ0नं0–53(2)/पी0एफ0आई0/2013–902, दिनांक 25 अक्टूबर, 2013 द्वारा स्वीकृत ₹ 65.56 लाख एवं ₹ 119.09 लाख अर्थात कुल ₹ 184.65 लाख **(रूपये एक करोड़ चौरासी लाख पैंसठ हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(I) धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही पर्यटन विकास निवेश कार्यकम के अन्तर्गत ए0डी0बी0 द्वारा अनुमन्य कार्यो/गतिविधियों के संचालन से सम्बन्धित भारत सरकार तथा ए0डी0बी0 के दिशा–निर्देश के अनुरूप ही व्यय किया जायेगा और धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर मदवार व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(II) शासनादेश संख्या–2081/VI(1)1–2008/2)2200(65, दिनांक 16 सितम्बर, 2011 द्वारा Retroactive Financing के तौर पर व्यय किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि ₹ 500.00 लाख में से ऋण अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने की तिथि तक हुए व्यय के उपरान्त अवशेष धनराशि में से ए0डी0बी0 से प्राप्त धनराशि के सापेक्ष राज्यांश का समायोजन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी तथा ए0डी0बी0 से प्राप्त हाने वाली आगामी धनराशि अवमुक्त किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय राज्यांश के रूप में समायोजित की जाने वाली धनराशि का स्पष्ट प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(III) एतद्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देती है जिसे व्यय करने के लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

(IV) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2014 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा और मासिक रूप से उत्तराखण्ड बजट मैनवल के अनुसार विवरण शासन को प्रेषित किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक में नहीं रखी जायेगी। ...2

2

(V) परियोजना सम्बन्धी विभिन्न कार्यो/मदों में व्यय करने की प्रकिया में यथास्थिति वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं ए0डी0बी0 के अधिप्राप्ति सम्बन्धी विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–संबर्धन तथा प्रचार–97–वाह्य सहायतित परियोजना–01–पर्यटन विभाग की वाह्य सहायतित योजनाएं–24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–598/XXVII(2)/2013, दिनांक 9 दिसम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S 1312260135 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सचिन कुर्वे)
अपर सचिव।

संख्याः– 3465 /VI(1)/2013–12(26)/2005 टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
5– कार्यक्रम निदेशक, परियोजना प्रबन्धन इकाई (पी0एम0यू0), पर्यटन संरचना विकास निवेश कार्यक्रम, पर्यटन विभाग, गढ़ीकैन्ट देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
अनुसचिव।